भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 513 का उत्तर

साबरकांठा में नई रेललाइनें

513. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात के साबरकांठा लोक सभा क्षेत्र में नई रेललाइनों का निर्माण कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन नई रेललाइनों का निर्माण कार्य वर्तमान में बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में रेल संपर्कता में सुधार लाने के लिए, हिम्मतनगर-खेड ब्रह्मा आमान परिवर्तन परियोजना (55 कि.मी.) हाल ही में पूरी की गई है।

इसके अतिरिक्त, तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड (116 कि.मी.) नई लाइन परियोजना, जो साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरती है, को भी स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना पर मार्च 2025 तक 980 करोड़ रुपये का व्यय

उपगत किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस परियोजना के लिए 236 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

इस क्षेत्र में संपर्कता में और सुधार लाने के लिए, निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकृत किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है:

क्र.सं.	सर्वेक्षणों के नाम	लंबाई (कि.मी. में)
1	खेड़ ब्रह्मा-अम्बाजी नई लाइन	46
2	अहमदाबाद-हिम्मतनगर दोहरीकरण	93

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात, परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श करना आवश्यक होता है और अन्य आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि का मूल्यांकन शामिल हैं। चूंकि परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करना निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, अतः सटीक समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी मंजूरी
- बाधक जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरियाँ
- क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थिति
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- विशिष्ट परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

******